न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 86/2019

1 हेमन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह आयु 5 वर्ष जाति राजपूत अवयस्क जरिये संरक्षिका माता किरण कंवर पत्नी दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी आंतरी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान सिंह पुत्र मुकन्दसिंह।
2 दलीप सिंह पुत्र हनुमान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण आंतरी तहसील धोद जिला सीकर।
3 उप पंजियक धोद।
4 तहसीलदार धोद।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद प्रार्थना पत्र संख्या 36/2018 उनवानी हेमन्त सिंह बनाम दलीप सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 19.08.19

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 19-9-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन तथा उसके साथ एक टी.आई. आवेदन पेश किया कि ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 2.50 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर के सम्बंध में प्रस्तुत अपील के अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया कि विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। पैतृक कृषि भूमि होने के कारण अपीलांट का भी अपने पिता रेस्पोडेंट संख्या 2 के समान ही हक अधिकार है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को बंचान करने पर आमादा है। इसलिए मूल दावे के निर्णय तक रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट के नाम से नोटिस जारी किये गये। जिसके तहत रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण की ओर से जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2019 को निर्णय कर प्रार्थी/अपीलांट का टी. आई. आवेदन खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पैतृक कृषि भूमि में पिता व दादा के जीवन काल मे ही उनके पुत्र पुत्री व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पौत्र का अपने पिता के समान हक, अधिकार होता है इसलिए वह अपने दादा के जीवन काल में ही अपने पिता के हक व हिस्से की भूमि में अपने पिता के समान ही अपने नाम खातेदारी उद्घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी का दादा वर्तमान में प्रार्थी व उसकी माता से नाराज चल रहे है तथा चिड़चिड़े स्वभाव के व फिजूल व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी में 1/2 हक, हिस्सा होने का नाजायज फायदा उठाकर वह अप्रार्थी संख्या 2 के सहयोग से वादग्रस्त भूमि को विकय करने पर आमादा है। जिनका कोई हक, अधिकार उनको नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में मिले हुये है। दिनांक 04.07.2019 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को अजनबी भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को बैचने व कब्जा कराने पर आमादा है। अत न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उपर्युक्त कुचेष्टाओं से बाज रहने हेतु उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. सी. 2005 पेज 332 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार विवादित आराजियात में प्रार्थी के दादा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का दादा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का पिता है तथा दोनों जीवित है। पिता एवं दादा के जीवित रहते हुए पौत्र अपने दादा की भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता है। अत प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। इसलिए प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो सकती है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नजीर उस स्थिति में लागू होती है जब दादा की मृत्यु हो जावे। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य भिन्न है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर अपीलांट का आवेदन धारा 212 खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19-9-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धापू सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर